रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2015/भाद्र 20, 1937
No. 240] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2015/BHADRA 20, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2015

सं. 35/2015–2020

विषयः– विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र में परिशिष्ट 4ञ और परिशिष्ट 4ख में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/333/एएम 15/पीसी4.–विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों में संशोधन को अधिसूचित करते हैं। ये संशोधन उनके सामने दर्शायी गई तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

1. परिशिष्ट 4ख में संशोधन

परिशिष्ट 4ख में नामित एजेंसियों की सूची की क्रम सं0 ख. **VII.** में भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0 का नाम 01.04.2015 से निम्नानुसार शामिल किया जाता हैः

VII. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0

जवाहर व्यापार भवन,

टाल्सटाय मार्ग,

नई दिल्ली–110001

2. परिशिष्ट–4ञ में संशोधन

परिशिष्ट–4ञ शुद्ध करने पर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

क्रम सं.	आयात मद	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से निर्यात दायित्व अवधि
10	प्राकृतिक रबड़	6 माह (01.04.2015 से) (संदर्भ सार्वजनिक सूचना सं. 81, दिनांक 09.01.2015)

6. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली को नामित एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है। आयात पूर्व शर्त के साथ विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए निर्यात दायित्व अवधि को सम्मिलित किया गया है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th September 2015

No. 35/2015-2020

Subject : Amendments in Appendix 4J and Appendix 4B of Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20.

F. No.01/94/180/333/AM15/PC4.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the amendments to Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from dates mentioned against them.

1. **Amendment in Appendix 4B**

Name of The State Trading Corporation of India Ltd. is inserted at Sl. No. B. VII. of list of Nominated Agencies in Appendix 4B w.e.f. 01.04.2015 as under

VII. THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.
Jawahar Vyapar Bhawan,
Tolstoy Marg, New Delhi-110001.

2. **Amendment in Appendix 4 J**

Appendix 4 J is corrected to read as below:

Sl. No	Import Item(s)	Export Obligation Period from the date of clearance of each import consignment by Customs authority
10	Natural Rubber	6 months (w.e.f 01.04.2015) reference Public Notice No. 81, dated 09.01.2015

Effect of this Public Notice:

State Trading Corporation, New Delhi, has been inserted as Nominated Agency. Export Obligation Period for Specified Inputs with Pre-import Condition is incorporated.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.